के.के. चौधरी

पी.सी.एस. कुलसचिव



उ॰प्र॰ प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई0ई0टी0 परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021

तूरभाषः 0522-2732193 फैक्सः 0522-2732185

पत्रांकः उ.प्र.प्रा.वि./कुस.का./स.वि./2015/1200-4494

College Code - 032

दिनांक 15.05.2015


सेवा में.

DIRECTOR, ABES ENGINEERING COLLEGE, GHAZIABAD

विषयः- शैक्षिक सत्र 2015-16 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation)के सम्बन्ध में। महोदय,

उथर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रिषद, नई दिल्ली के द्वारा पदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/30प्र0 शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में शासनादेश के संख्या 1587/सोलह-1-2015-13(5)/2015- दिनांक 15.05.2015 को निर्गत आदेशानुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता के साथ

S.No.	Branch Name	Ist Shift	IInd Shift
1	COMPUTER SC. & ENGG.	18	0
2	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	18	0
3	MECHANICAL ENGG.	- 18	0
4	CIVIL ENGG.	120	0
5	COMPUTER SC. & ENGG.	180	0
6	COMPUTER SC. & ENGG.	0	60
7	INFORMATION TECHNOLOGY	120	0
8	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	120	-0
9	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	180	0
10	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	- 0	60
11	MECHANICAL ENGG.	120	0
12	MECHANICAL ENGG.	0	60
13	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	120	0
14	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	0	60
15	MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS	120	0



- 1. संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/उ.प्र.प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैंकल्टी अनुपात, रैंगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों/मानकों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- 2. निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संत्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
- 3. बी.फार्म./एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होना तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिशप, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश जेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

2

- 4. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/30प्र0 प्राविधिक विश्वविदयालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति दवारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविदयालय दवारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शून्क न जमा करने तथा सीटो की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रृटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- 6. 30प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 में प्रदत्त अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7.संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में निदेशक/प्राचार्य एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची तथा चयन से संबंधित समस्त अभिलेख विश्वविदयालय को प्रस्तृत की जायेंगी।
- 8. संस्था के निदेशक का पद रिक्त होने के तीन माह (कार्यदिवस) के अन्दर अवश्य चैयनित कर लिये जाएं, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य करायें। (अध्याय: 6.15)
- 9. संस्था में कार्यरत शिक्षक द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्द्र विश्वविदयालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.18)
- 10. शैक्षिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ के वेतन को आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यया की स्थित में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय 6,25b)
- सम्पूर्ण तिवरणः संस्थानकं सूचना पट, वेबसाइट पूर प्रदर्शित होने चाहिए 13) 11. लैब एवं उसके उपकरणी क अवश्य सूचित कराये। (अध्याय:6.13)
- सूर्चना पुट्टीवेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं हुसकी विश्वविद्यालुँगुको भी अवश्य सूचित करायें। (अध्याय:6.16)
- 13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गया शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चस्पा की जायेगी। इसकी सूचना जिन्नावद्य क्षण है उपलब्ध करायः जायगा अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथाचित कार्यवाही किये जाने पूर विकार चित्री जायगा।

 14. अखिल भारतीय तक्त्रीकी शिक्षा प्रिषद की अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धियती का यह भारतीय
- जायेगा।
- 15. संस्था में पाया निमयों का प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरिक्षण कभी भी किया जी सकता है।
- 16. संस्था का शिक्षक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सुकता है और उन्ने आकस्मिक निरीक्षण में निधारित मानुकों के सापेक्ष कृमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 17. जिन संस्थाओं की अभातिशिष्क एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर रें कोई निरीक्षण अथवा जाच की जाती है अथवा कोर्द्ध नीटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तद्कार्यवाही के अधीन होगी।
- 18. संस्था देवारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश-(अनुस्चित-जातियों, अनु0 जनजातियों और अन्य पिछड़े देवा के लिए आरक्षण) अधिनियम 2006/विश्वविद्यालय देवारी निर्धारित प्रवेश मानको एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार देवारी निर्धारित नियमान्सार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 19. संस्था द्वारा यह सिनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्के वही लिये जाए जो समृद्य समृद्य पर फीस निर्धारण समिति द्वारः िपीरित्कि गृह हो। भ य किसी प्रकार का ुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्धरालुम्बद्वारा संस्थाह े रुम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 20. AMS (Academic Monitoring System) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या: 30प्र0प्रा0वि0/कुस0का0 /2014/4414-21, दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बाध्यता होगी।
- 21. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्या हेत् शिक्षको एवं शिक्षणोतर कुर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था की यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेतर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना स्निश्चित करेंगे। कतिपय कारणोवश यदि ऐसा सम्भव ने हो तो संस्<u>यादिवारी</u> विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांकः उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- प्रमुख सचिव, महा० क्लाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण, उ.प्र., लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

क्लसचिव